न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 861 / 2023
अनवान : –

1. हंसराज पुत्र काशीराम जाति सुथार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. काशीराम पुत्र पदमाराम जाति सुथार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. बाधु देवी पत्नी काशीराम जाति सुथार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. श्याम सुन्दर पुत्र काशीराम जाति सुथार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. पूर्णराम पुत्र काशीराम जाति सुथार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. रामचन्द्र पुत्र पदमाराम जाति सुथार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री काशीराम जाति सुथार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
7. सुलोचना पुत्री काशीराम जाति सुथार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 01/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 50 / 50 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 6.2213 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 49 / 51 के खसरा नं. 187 / 2 की कुल 1.6500 है0 भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज है व रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 20 / 20 के खसरा नं. 289 / 1 की कुल 5.6910 है0 भूमि में से 1 / 2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के व 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवागण का जन्मजात हक हिस्सा है [illegible] हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अकेले के नाम [illegible] भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 व 6 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 [illegible] ब0 के खातेदार [illegible]र है। प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादीया संख्या 2 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रो के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादीया संख्या 6 व 7 जो कि वादी की बहिने है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 6 व 7 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 50/50 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 6.2213 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 49/51 के खसरा नं. 187/2 की कुल 1.6500 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 20/20 के खसरा नं. 289/1 की कुल 5.6910 है0 भूमि में से मिन पूर्व की 1/2 हिस्सा भूमि यानी 2.8455 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा शेष मिन पश्चिम की 1/2 हिस्सा यानी 2.8455 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी व शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब स्टेट पेश किया जो की शामिल पत्रावली किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:50 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता एवं माता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

6 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1, 2, 6, 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 50/50 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 6.2213 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 49/51 के खसरा नं. 187/2 की कुल 1.6500 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज है व रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 20/20 के खसरा नं. 289/1 की कुल 5.6910 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के व 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उक्त वाद पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीया संख्या 1, 2, 6, 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 50/50 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 6.2213 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 49/51 के खसरा नं. 187/2 की कुल 1.6500 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 20/20 के खसरा नं. 289/1 की कुल 5.6910 है0 भूमि की 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर मिन पूर्व की 1/2 हिस्सा यानी 2.8455 है0 भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं शेष मिन पश्चिम की 1/2 हिस्सा यानी 2.8455 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। प्रतिवादी संख्या 5 की भूमि रहन है तो रहन को प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्से पर यथावत रखते हुए अमल दरामद हो जबकि अन्य काश्तकार के हिस्से पर रहन है तो वाद भूमि रहन मुक्त होने के बाद अमल दरामद हो। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 6.1.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:50 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 861/2023

अनवान : –

1. हंसराज पुत्र काशीराम जाति सुथार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. काशीराम पुत्र पदमाराम जाति सुथार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. बाधु देवी पत्नी काशीराम जाति सुथार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. श्याम सुन्दर पुत्र काशीराम जाति सुथार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. पूर्णराम पुत्र काशीराम जाति सुथार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. रामचन्द्र पुत्र पदमाराम जाति सुथार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री काशीराम जाति सुथार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
7. सुलोचना पुत्री काशीराम जाति सुथार निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 861 सन 2023 निर्णय दिनांक 01/01/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 50/50 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 6.2213 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 49/51 के खसरा नं. 187/2 की कुल 1.6500 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 20/20 के खसरा नं. 289/1 की कुल 5.6910 है0 भूमि की 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर मिन पूर्व की 1/2 हिस्सा यानी 2.8455 है0 भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं शेष मिन पश्चिम की 1/2 हिस्सा यानी 2.8455 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। प्रतिवादी संख्या 5 की भूमि रहन है तो रहन को प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्से पर यथावत रखते हुए जबकि अन्य काश्तकार के हिस्से पर रहन है तो वाद भूमि रहन मुक्त होने के किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:50 IST
Reason: SelfAttested